



# दिल्ली विकास प्राधिकरण

एफओ से सीई (इलेक्ट) प्रेस निविदा सूचना सं. 49

पूर्व-अर्हता सूचना

हॉकी फील्ड हेतु स्पोर्ट्स लाइटिंग

अधिशासी अभियंता (ई) विद्युत विभाग सं. — सीडब्ल्यूजी-1, दिविप्रा, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली दिविप्रा की ओर से स्पोर्ट्स लाइटिंग सिस्टम हेतु केवल फिलिप्स/अबाकस/सिटको/जी.ई. मेक के मूल निर्माताओं अथवा उनके अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर्स/डीलर्स से पूर्व-अर्हता हेतु आवेदन आमंत्रित करते हैं।

| क्र. सं. | कार्य का नाम                                                                                                               | अनुमानित लागत (अस्थाई) | अनुमत्य समय |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| 1.       | यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित प्रशिक्षण स्थलों का नवीनीकरण।<br>उपशीर्षक: हॉकी फील्ड हेतु स्पोर्ट्स लाइटिंग का एसआईटीसी | रु. 130 लाख            | 4 माह       |

आवेदक निविदा जारी करने हेतु अपनी पात्रता के समर्थन में निम्न दस्तावेज जमा करेगा :-

1. स्वीकृत मेक के मूल निर्माता बिना कोई समापन प्रमाणपत्र/ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र/वार्षिक वित्तीय टर्नओवर प्रमाणपत्र जमा किए सीधे आवेदन करेंगे। या

2. स्वीकृत मेक के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर्स/डीलर्स जो निम्न अपेक्षाएं पूरी करते हैं, आवेदन करने के पात्र होंगे। संयुक्त उपक्रम स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

(क) स्वीकृत मेक के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर्स/डीलर्स मूल निर्माताओं से प्राप्त प्राधिकृत पत्र की कॉपी जमा करेंगे। मूल निर्माताओं के साथ प्राधिकृत पत्र 31.10.2009 को एक साल से कम का नहीं होना चाहिये। अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर्स/डीलर्स को मूल निर्माताओं से कार्य का डिजाइन विवरण उपलब्ध करवाने तथा निरीक्षण करने, जैसे और जहाँ जरूरत पड़ने पर उनकी प्रयोगशाला में परीक्षण/कार्य करवाने का वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ख) उसने 31 अगस्त, 2002 से आगे या बाद में तीन समान प्रकृति के कार्य प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% या दो समान प्रकृति कार्य प्रत्येक की लागत 60% अथवा एक समान कार्य जिसकी लागत 80% हो, संतोषजनक रूप से पूर्ण किये होने चाहिये।

आवेदन के साथ केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सरकारी उपक्रम/स्वायत्त निकाय के अधिकारी, जो अधिशासी अभियंता के स्तर से नीचे का न हो, द्वारा जारी पूर्णता प्रमाण पत्र की स्व साक्ष्यांकित कॉपी जमा करनी होगी।

मामलों की जांच के दौरान, उपरोक्त कार्य हेतु पात्रता मानदंड के लिए किसी फर्म द्वारा पूर्ण किये गए किसी पूर्व कार्य की लागत, वर्तमान में सममूल्य लागत पर लाने के लिए (कार्य पूर्णता की वास्तविक तिथि से वर्तमान तिथि तक बिना संयोजन गणना करते हुए) प्रत्येक वर्ष के लिए 7 प्रतिशत बढ़ा दी जाएगी।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंक/शेड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी अनुमानित लागत का 40% या अधिक का ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र (केवल अधिकृत सहयोगियों के मामले में)।

(घ) 31 मार्च 2009 को समाप्त गत तीन वर्षों में अनुमानित लागत के 50% का औसत वार्षिक वित्तीय टर्नओवर होना चाहिये।

**नोट: • आवेदन के साथ जमा किए गए सभी दस्तावेज आवेदक द्वारा विधिवत मुद्रांकित एवं हस्ताक्षर किए गए होने चाहिये। • समान कार्य का अर्थ "इंडोर/ आउटडोर स्टेडियम की स्पोर्ट्स लाइटिंग की एसआईटीसी या स्वीकृत मेक के स्पोर्ट्स एरिना केवल"।**

3. विभाग किसी भी प्रत्याशित आवेदन को बिना कोई कारण बताए रद्द करने तथा योग्य ठेकेदारों की सूची उपयुक्त समझी जाने वाली किसी भी संख्या तक, यदि निर्धारित मानदंड के अंतर्गत संतोषजनक बोलियाँ अधिक प्राप्त होती हैं तो, सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

4. राष्ट्रीयकृत बैंक/शेड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी प्रत्येक कार्य की अनुमानित लागत का 40% का ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

5. योग्य आवेदकों को रु. 1000/- की लागत पर निविदा खरीदने के लिए सूचित किया जाएगा।

6. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 11.12.2009 है।